हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला – 176213

क्रमांकःहि.शि.बो (2)/101वीं बोर्ड बैठक/मद 16/2013 -5886-5945 दिनांकः 4-10-2013

"अधिसूचना"

अधिसूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 101वीं बैठक दिनांक 09.09.2013 की मद सं० 16 के अन्तर्गत बोर्ड ने परीक्षार्थी द्वारा Right to Information Act 2005 के अधीन आवेदन करने पर निम्नलिखित शर्तों पर मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान किये जाने का निर्णय लिया है :-

1. उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति केवल परीक्षार्थी को उसके आवेदन पर ही उपलब्ध करवाई जाएगी जिसके लिए परीक्षार्थी को अपना ID Proof की प्रति संलग्न करनी होगी।

2. परीक्षार्थी को उत्तरपुस्तिका की छाया प्रति के लिए परीक्षा परिणाम घोषित होने के 60 दिन के भीतर आवेदन करना होगा। 60 दिन के पश्चात कोई आवेदन स्वीकार नही किया जाएगा। यदि उत्तरपुस्तिकाओं की बिक्री नहीं की गई हैं तथा वे ढेर के रूप में इक्कठी नहीं की गई हो, तो भी उक्त आवेदन स्वीकार करने अथवा न करने का विशेषाधिकार सचिव स्कूल शिक्षा बोर्ड का होगा।

3. परीक्षार्थी का आवेदन ₹500/- शुल्क सहित बोर्ड कार्यालय में प्राप्त होना चाहिए। आवेदन प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर उत्तरपुस्तिका की प्रति उपलब्ध करवाई जायेगी।

4. परीक्षार्थी को आवेदन के साथ Undertaking भी देनी होगी कि वह मुल्यांकन स्तर को Challenge नही करेगा। Undertaking के प्रपत्र की प्रस्तावित प्रति अनुबन्ध ज पर संलग्न है।

5. After getting the photocopy of answer Book(s) or the evaluated/Re-evaluated answer book(s), if any discrepancy of the following nature ;

i) Mistake in totaling of marks.

ii) Unmarked Questions

is pointed out by the student within 15 days of the receipt of these copies then the Secretary/Re-evaluation Branch will rectify the same without charging any further fee from the applicant/examinee as the case may be.

लगातार....

6. यदि परीक्षार्थी की उत्तरपुस्तिका पुनमूल्यांकन या पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया में होगी तो परीक्षार्थी इस प्रक्रिया की समाप्ति के 15 दिन के भीतर ₹500/-शुल्क सहित आवेदन कर सकता हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा परीक्षार्थी जिसने पुनर्मूल्यांकन या पुनर्निरीक्षण करवाया है तथा इसके पश्चात अपने अंकों से सन्तुष्ट नहीं है तो वह भी अपनी उत्तरपुस्तिका की फोटो प्रति लेने के लिए पुनर्मूल्यांकन या पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया की समाप्ति के 15 दिन के अन्दर- अन्दर निर्धारित शुल्क सहित आवेदन कर सकता है।

7. परीक्षार्थी उत्तरपुस्तिका का स्वयं अभिरक्षक (Custodian) होगा। वह इसके लिए किसी के साथ भागीदारी नही करेगा। परीक्षार्थी को भी Undertaking देनी होगी कि वह अंकन के स्तर को किसी भी अवस्था में चुनौती नही देगा ओर न ही उत्तरपुस्तिका का दुरूपयोग करेगा। ऐसा करने पर UMC के नियमों के अनुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

इसके अतिरिक्त बोर्ड ने उपरोक्त शर्तों के अनुसार बोर्ड के परीक्षा विनियमों में भी आवश्यक संशोधन किये जाने का निर्णय लिया है।

सचिव

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित हैः–

1. प्रधान सचिव (शिक्षा), हि. प्र. सरकार, शिमला– 2
2. वरिष्ठ निजी सचिव / निजी सचिव / निजी सहायक (अध्यक्ष / सचिव)
3. अतिरिक्त सचिव / समस्त उप / सहायक सचिव, हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड ।
4. उप नियन्त्रक, वित्त एवं लेखा / लेखा परीक्षा, हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड ।
5. समस्त अनुभाग अधिकारी / जिला प्रबन्धक, हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड ।
6. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि.प्र. शिमला–5 को, उपरोक्त निर्णय को हि.प्र. सरकार के राजपत्रा तथा E-Gazette में प्रकाशित करने बारे।
7. प्रभारी नेट, एवं सूचना केन्द्र हि.प्र.स्कूल शिक्षा बोर्ड को बोर्ड की website में प्रकाशित करने के लिये।
8. गार्ड फाईल।

सचिव

UNDERTAKING

Affix Photo here

प्रमाणित किया जाता है कि ....(परीक्षार्थी का नाम) सपुत्र/सपुत्री श्री........................(पिता का नाम)निवासी........................ ....निम्न अनुसार अपनी Undertaking देता/देती हूं।

1. यदि कि मैंने अनुक्रमांक ....के अन्तगर्त ....कक्षा की परीक्षा मार्च/सितम्बर............में दी थी। मेरे द्वारा प्रमाणित परीक्षा के अनुक्रमांक/वोटर पहचान पत्र/राशन कार्ड/पहचान सम्बंधी अन्य दस्तावेज की फोटो प्रति संलग्न है।

2. यह कि उत्तरपुस्तिका की फोटो प्रति केवल मेरे प्रयोगार्थ होगी कोई भी परीक्षक या अन्य व्यक्ति इस फोटो प्रति का दुरूपयोग नही करूँगा/ करूँगी ।

3. यह कि मैं उत्तरपुस्तिका के अंकन के स्तर को किसी भी अवस्था में चुनौती नही दूँगा/दूँगी।

4. यह कि मैंने उत्तरपुस्तिका की फोटो प्रति लेने के लिए निर्धारित शुल्क 500/- रू० प्रति उत्तरपुस्तिका की दर से कुल .... रूपये बैंक ड्राफट न०/ रसीद संख्या ....दिनांक .... के अन्तर्गत बोर्ड कार्यालय में जमा करवा दिया है ।

5. यह कि उत्तरपुस्तिका की फोटो प्रति लेने के पश्चात केवल मेरे अतिरिक्त अन्य कोई उसका संरक्षक नही होगा तथा वह मेरी अभिरक्षा में ही रहेगी जिसका मै न तो किसी प्रकार से दुरूपयोग करूँगा/करूँगी तथा न ही इसकी अभिरक्षा के लिए कियी अन्य से भागीदारी करूँगा/करूँगी ।

6. यह कि उत्तरपुस्तिका की प्रति लेने के बाद यदि मेरे द्वारा उसका दुरूपयोग किया जाता है तो मेरे खिलाफ अनुचित साधन का मामला दर्ज करके यू०एम०सी० कमेटी को भेज दिया जाए जो नियमानुसार कार्यवाही करेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई Undertaking सत्य है और इसमें कुछ भी नही छुपाया गया है।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर......
पता......................
....
....
....
मोबाईल न०.............

दिनांक.......